कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक–1498/खनिज/पत्थर–बाण सागर/नीलामी/2019 दिनांक :15/10/2019

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिए ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार, मड़िहान एवं लालगंज स्थित ग्राम गोल्हनपुर, लहौरा, बहुति तथा तहसील लालगंज स्थित ग्राम भूंसी पथरहां में बाण नहर निर्माण खण्ड–5 एवं खण्ड–7 द्वारा खुदाई से निकले पत्थर को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 583/86– 2019–183/2011 दिनांक 09/03/2019 के पैरा "घ" के अन्तर्गत उ0प्र0 उपखनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 के अधीन 06 माह की अल्प अवधि के लिए ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई–निविदा दिनांक 14.11.19 को अपरान्ह 2:00 बजे तक वेबसाइट http://mirzapur.nic.in पर आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 14.11.19 को ही सायं 4:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	बाण सागर खण्ड	तहसील	स्थल	निर्माण कार्य से निकले पत्थर की मात्रा	पत्थरों का आरक्षित मूल्य	निविदा की न्यूनतम राशि (अर्नेस्ट मनी)
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्ड–5	चुनार	कि.मी. 69.700 से कि.मी. 69.990 –उक्त चैनेज गोल्हनपुर तहसील चुनार में स्थित नहर के दोनो तरफ रखा है।	19704.00	2167440.00	541860.00
2	खण्ड–5	चुनार	कि.मी. 68.350 से कि.मी. 70.700 –उक्त चैनेज ग्राम गोल्हनपुर, लहौरा सीमा में नहर की दोनो पटरियों पर रखा है।	63750.00	7012500.00	1753125.00
3	खण्ड–5	मड़िहान	मेंजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 43.500 से कि.मी. 46.500 के बीच खुदाई से निकले पत्थर नहर के दोनों पटरियों पर जगह–जगह व ग्राम बहुति के पश्चिम सड़क के दोनो तरफ व खेत में जगह–जगह भण्डारित है।	79659.437	8762538.00	2190635.00
4	खण्ड–7	लालगंज	ग्राम भूंसी पथरहां में कि.मी. 32.105 से कि.मी. 33.305 चैनेज नहर की दोनो पटरियों पर रखा गया है।	14300.00	1573000.00	393250.00
5	खण्ड–7	मड़िहान	कि.मी. 47.20 से कि.मी. 47.340 चैनेज ग्राम कोटवां/कोटवां सिरसी मोड़ के पास राबर्ट्सगंज रोड के उत्तर मकान के पीछे खेत में भण्डारित है।	13131.00	1444410.00	361103.00

शर्ते निम्न प्रकार हैं:–

1. उपखनिज निकासी की अवधि 06 माह की होगी। 06 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।
2. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी :–
   (i) निविदाकार का नाम–
   (ii) निविदाकार के पिता का नाम–
   (iii) स्थायी पता–
   (iv) वर्तमान पता–
   (v) पैन नम्बर–
   (vi) आधार नम्बर–

(vii) ई–मेल आई.डी.–
(viii) मोबाईल नम्बर–
(ix) पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी. / पास पोर्ट / डी.एल. / विद्युत बिल / बैंक पासबुक / राशन कार्ड)
(x) आवेदित क्षेत्र का विवरण– तहसील व ग्राम का नाम :–
(xi) उपखनिज का नाम :–
(xii) भण्डारित उपखनिज की मात्रा–
(xiii) खनन देय बकाया न होने का शपथ–पत्र
(xiv) न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी मीरजापुर के नाम देय होगा।
    (क) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि –
    (ख) बैंक का नाम व शाखा –
    (ग) ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक –
(xv) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र–

3. ई–निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपखनिज की मात्रा / स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नही किया जायेगा।
4. प्राप्त ई–निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।
5. सर्वोच्च दर के ई–निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल ई–निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले ई–निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
6. ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम आफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम रूप से अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुए शेष धनराशि 07 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई–निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए जारी लेटर आफ इन्टेन्ट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नही किया जायेगा।
7. उपखनिज का परिवहन वैध प्रपत्र आनलाईन ई–एम0एम–11 / प्रपत्र–सी के माध्यम से किया जायेगा।
8. वाहनों के प्रवेश व निकासी की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सीसीटीवी कैमरा सहित चेकपोस्ट / गेट का निर्माण करेगा। उक्त चेकपोस्ट / गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा। जिससे उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र–सी / ई–प्रपत्र–सी को पढ़ने तथा सुरक्षित रखने की सुविधा होगी तथा उसका समुचित रख–रखाव करेगा तथा सदैव उसे चालान रूप में अनुरक्षित रखेगा। उक्त सीसीटीवी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्डिंग माँगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
9. उक्त ई–निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
10. उपखनिज की निकासी की अवधि 06 माह के लिए होगी, अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा। खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
11. बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई–निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वांछित अभिलेख / बैंक

ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खनन अदेयता शपथ पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से एक घण्टे पूर्व अर्थात 3:00 बजे तक समिति के सदस्यों के समक्ष जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

12. उपखनिज की निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज की निकासी किया जायेगा।
13. उपखनिज की निकासी के अतिरिक्त अन्य स्थानों से खनिजों की निकासी अथवा खनन की अनुमति नही होगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर स्वीकृति आदेश निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी मीरजापुर को होगा।
14. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0), लखनऊ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
7. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
8. अधिशासी अभियंता, बाण सागर नहर निर्माण खण्ड–5 एवं खण्ड–07 मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त खण्डों को मौके पर बोर्ड लगाकर चिन्हित करायें जिससे इच्छुक बोलीदाता व निविदादाता आसानी से सम्बन्धित खण्डों में मौके पर उपलब्ध पत्थरों का आसानी से भौतिक सत्यापन कर सकें।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–मीरजापुर।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को 06 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशन का कष्ट करें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति www.mirzapur.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड कराकर ई–टेण्डर की प्रक्रिया सम्पन्न करावें।
13. उप निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के प्रचलित 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
14. तहसीलदार, सदर / चुनार, जनपद–मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक नीलामी एवं निविदा की घोषणा / सूचना को अपनी तहसील के नोटिस बोर्ड पर प्रचारार्थ चस्पा करायें तथा अपने–अपने क्षेत्रों में मुनादी द्वारा उक्त सार्वजनिक नीलामी एवं निविदा का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
15. खान अधिकारी, मीरजापुर को अपने स्तर से उक्त सार्वजनिक नीलामी एवं निविदा की घोषणा का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
16. नाजिर, कलेक्ट्रेट–मीरजापुर को नोटिस बोर्ड पर प्रचारार्थ चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।